संख्या:93/2021/1078/35-4-2021

प्रेषक,

विवेक, विवेक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ़

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 08 जुलाई, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ की विधान सभा क्षेत्र- इगलास में शासनादेश संख्या-115/2019/327/35-4-2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019 द्वारा 07 कार्यों की रू. 499.98 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 399.36 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्त शासनादेश से स्वीकृत 07 कार्यों में से 01 कार्य यथा-**खैर रोड से गौण्डा वाया ल्हौर्रा मौती बसई तक मार्ग निर्माण (अवशेष भाग)** की अनुमोदित लागत रू. 201.24 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 100.62 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी, तदोपरान्त शासनादेश संख्या-88/2020/853/35-4-2020 दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू.40.24 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्र संख्या-1363/त्व0आ0वि0/2019-20, दिनांक 23 मार्च, 2021 द्वारा उक्त कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का पूर्ण व्यय होना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 फरवरी, 2019 द्वारा स्वीकृत 07 कार्यों में से उक्त कार्य की अनुमोदित लागत रू. 201.24 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि रू. 140.86 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष रू.60.38 लाख (रूपये साठ लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

विधानसभा क्षेत्र	कार्य	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त अवशेष धनराशि
इगलास	खैर रोड से गौण्डा वाया ल्हौर्रा मौती बसई तक मार्ग निर्माण (अवशेष भाग)	201.24	100.62	40.24	60.38

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 08 फरवरी, 2019 एवं दिनांक 08 दिसम्बर,2020 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

5- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मार्च, 2022 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा नियोजन अनुभाग-4 को दिनांक 31 मार्च, 2022 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2022 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

8- वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्वीकृत बजट के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्तो/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त कार्यों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-03-ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़को के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

संख्या:93/2021/1078(1)/35-4-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, अलीगढ़।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।
10- मुख्य विकास अधिकारी,अलीगढ़।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,अलीगढ़।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,अलीगढ़।
14- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, अलीगढ़।
15- अनुसचिव, मुख्यमंत्री घोषणा प्रकोष्ठ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in